

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक प. 16(1)साप्र/2/2013

:- आदेश :-

राजस्थान के मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 के नियम 5(1)(ए) के प्रावधानानुसार निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु, पद पर बने रहने तक के लिए एतद्वारा निःशुल्क आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम माननीय मंत्री	राजकीय आवास संख्या (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
1.	श्री गुलाब चन्द कटारिया माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर	383, सिविल लाईन्स, जयपुर
2.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (ईएसआई) तथा संसदीय मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।	48, सिविल लाईन्स, जयपुर
3.	श्री कालीचरण सराफ माननीय मंत्री शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।	4, अस्पताल रोड़, जयपुर
4.	प्रो. श्री सांवरलाल जाट माननीय मंत्री जल संसाधन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, भूजल तथा कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	11, सिविल लाईन्स, जयपुर
5.	श्री प्रभुलाल सैनी माननीय मंत्री कृषि (कृषि विपणन), पशुपालन, मत्स्य तथा डेयरी विभाग, राजस्थान, जयपुर।	47, सिविल लाईन्स, जयपुर
6.	श्री गजेन्द्र सिंह खीवसर माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।	18-डी, सिविल लाईन्स, जयपुर
7.	श्री यूनस खान माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	382, सिविल लाईन्स, जयपुर
8.	श्री अरुण चतुर्वेदी माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।	385-बी, सिविल लाईन्स, जयपुर
9.	श्री अजय सिंह किलक माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	50, सिविल लाईन्स, जयपुर
10.	श्री हेमसिंह भडाना माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।	380, सिविल लाईन्स, जयपुर

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खोशानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदया, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव एवं डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग।
8. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
9. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिविल लाईन्स/गांधीनगर/अस्पताल रोड़/भगतसिंह मार्ग (सी-स्कीम)/खातीपुरा (हसनपुरा)/हीराबाग, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिविल लाईन्स/गांधीनगर/अस्पताल रोड़/भगतसिंह मार्ग (सी-स्कीम)/खातीपुरा (हसनपुरा)/हीराबाग, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, सिविल लाईन्स /गांधीनगर/अस्पताल रोड़/ भगतसिंह मार्ग (सी-स्कीम)/खातीपुरा (हसनपुरा)/हीराबाग, जयपुर।
14. अधीक्षक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
17. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिविल लाईन्स/गांधीनगर/अस्पताल रोड़/भगतसिंह मार्ग (सी-स्कीम)/खातीपुरा (हसनपुरा)/हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्था करावें।
20. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
21. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, साप्रवि (समस्त 1, 3, 5, 6) विभाग।
22. सम्बन्धित आवंटी मंत्रिगण।
23. सम्बन्धित पूर्व आवंटी।
24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
25. रक्षित पत्रावली।

दीर्घाशरण

वरिष्ठ शासन उप सचिव